राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(14)ग्रावि/नरेगा/मैन्युअल तक/पार्ट II/2011 जयपुर, दिनांकः 1/9/2011

2 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यालय समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः जिला परिषद में कार्यरत समस्त अधिशाषी अभियंताओं के कार्य विभाजन के संबंध में।

प्रसगः विभागीय पत्रांक एक 10(4) ग्रावि/नरेगा /अ.अ./2010 दिनांक 16.03.2010 दिनांक 06.08.2010 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 27.05.011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि नरेगा कार्यो के प्रभावी मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिशाषी अभियंता (नरेगा), अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं अधिशाषी अभियंता (भू संसाधन)के बीच जिले की समस्त पंचायत समितियों का कार्य. विभाजन इन सभी के मध्य समान रूप से किया जावे। ये प्रभारी अधिशाषी अभियंता अपनी आंवटित पंचायत समितियों के कार्यो का मूल्याकंन एवं निरीक्षण नियमित रूप से करते हुए समय पर उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी करावेगें।

जिलो से प्राप्त फीडबैक अनुसार अभी भी महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यो का अधिकतर भार अधि. अभि. (नरेगा) पर ही है जो कि अन्य कार्यो यथा स्वीकृतियां जारी कराने, शिकायत निराकरण, नीति निर्धारण , मासिक बैठकों आदि में व्यस्त रहने के कारण प्रभावी मोनीटरीग और समय पर निरीक्षण नहीं कर पाते हैं और उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रो का समायोजन समय पर नहीं हो पाता है। इसलिए सभी अधिशाषी अभियंताओं के मध्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यो का विभाजन होना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में केवल सवाईमाधोपुर जिले से कार्य विभाजन की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। कृपया आपके जिले में भी कार्य विभाजन आदेश जारी कर उसकी प्रति 7 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

1/9/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव ,ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यालय समन्वयक, ई जी एस , अजमेर को उनके पत्रांक एमजी नरेगा/5640 दिनांक 29.07.011 के क्रम में।
2. समस्त अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद,समस्त राज.

1/9/11
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

181
42

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(14)ग्रावि/[illegible]/मैन्युअल/2010 जयपुर, दिनांक: 27/5/2011.

जिला कलेक्टर एवं [illegible] कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय: जिले में कार्यरत अधिशाषी/सहायक अभियंताओं द्वारा कार्यो के मूल्यांकन एवं निरीक्षण बाबत।

प्रसंग: विभागीय पत्र कमांक एफ 10(4)ग्रावि/नरेगा/अ.अ./2010 दिनांक 16.03.2010 एवं दिनांक 06.[illegible].2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.03.2010 के द्वारा नरेगा कार्यो के प्रभावी मूल्यांकन एवं निरीक्षण हेतु अधिशाषी अभियंता (नरेगा) के साथ –साथ अधिशाषी अभियंता (भू–ससांधन) एवं अधिशाषी अभियंता (अभियान्त्रिकी) की सेवाएं भी लेने हेतु निर्देशित किया हुआ है। विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ जिलों में अधिशाषी अभियंता (भू–संसाधन) एवं अधिशाषी अभियंता (अभियान्त्रिकी) को नरेगा योजना हेतु प्रभारी अधिकारी तो बनाया हुआ है एवं उनके द्वारा क्षेत्र में कार्यो का निरीक्षण भी किया जा रहा है परन्तु मूल्यांकन (यू.सी./सी.सी.) प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। यथासम्भव विभाजन इस तरह हो कि सभी पंचायत समिति के लिए कोई ना कोई अधिशाषी अभियंता प्रभारी अभियंता बने।

तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के बिन्दु संख्या 10.2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्यो का मूल्यांकन किया जावे। अतः उपरोक्त सन्दर्भ में पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. जिले की सभी पंचायत समितियों को अधिशाषी अभियंताओं के मध्य विभाजित किया जावे ताकि कार्यो का मूल्यांकन एवं निरीक्षण नियमित रूप से हो सके।
2. पूर्व में जो अधिशाषी अभियंता पंचायत समितियों का निरीक्षण करते रहे हैं परन्तु उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जावे।
3. सहायक अभियंता जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, ईजीएस, भू–संसाधन, सिंचाई विभाग आदि को भी पंचायत समितियों में निरीक्षण कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावे।
4. जिन पंचायत समितियों में एक भी सहायक अभियंता पद स्थापित नहीं हैं, उनमें अन्य पंचायत समितियों जिनमें दो सहायक अभियन्ता पदस्थापित है उनमें से एक की सेवाएं ली जा सकती है एवं ऐसे आदेशों की विभाग द्वारा पुष्टि करवाली जावे। सहायक अभियंताओं द्वारा पंचायत समिति के प्रभारी अधिशाषी अभियंताओं को मूल्यांकन एवं निरीक्षण बाबत नियमित रूप से सूचित किया जावेगा।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

27/5/11
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

URGYAN\SE\EGS LETTER\Hindi Letters.doc 5/20/2011

PTO

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलक्टर)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान,
जिला – सवाई माधोपुर

क्रमांक :ईजीएस / 2011–12 / दिनांक :

कार्यालय – आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक्र. F10(4) ग्रा वि/नरेगा/अ.अ./2010 दि 6/3/2010 एवं दि.6/8/2010 के एवं 27/5/2011 क्रम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के तखमीने तैयार करने, कार्यो का निरीक्षण करने, उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने, समायोजन इत्यादि कार्यो को सम्पादन करने हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में पदस्थापित निम्न अभियन्ताओं को निम्नानुसार पंचायत समिति आंवटित की जाती है –

क्र.स.	नाम अधिशाषी अभियन्ता	पद	आंवटित पंचायत समिति
1	श्री आर. एस. चौहान	अधिशाषी अभियन्ता, (अभियान्त्रिकी)	गंगापुरसिटी व बामनवास
2	श्री उम्मेदसिंह राव	अधिशाषी अभियन्ता, भू–संरक्षण	बौंली व सवाई माधोपुर
3	श्री सत्यनारायण शर्मा	सहायक अभियन्ता, नरेगा	खण्डार

ये अभियन्ता अपने वर्तमान कार्य के साथ–साथ उपरोक्तानुसार आंवटित पंचायत समिति के महानरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य करना सुनिश्चित करेगें। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

–sd.
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलक्टर ,सवाई माधोपुर

क्रमांक :ईजीएस / 2011–12 / 2120–30 दिनांक : 11.8.11

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. श्रीमान आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग – 3, जयपुर, राजस्थान।
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग – 3, जयपुर, राजस्थान।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वितीय एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाई माधोपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस कार्यालय हाजा।
6. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) सवाई माधोपुर।
7. संबंधित अभियन्ता श्री ....
8. गार्ड फाईल।

10/8/11

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलक्टर ,सवाई माधोपुर

Copy to all the DPCs & District Coordinator Collectors to issue similar orders to ensure smooth monitoring

23/8/11
PD & DS EGS

C:\Users\NREGS\Documents\JULY11.doc